# Form No. III

# फर्द–अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

**महेन्द्रसिंह चूण्डावत** बनाम **प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं प्रशासक नगर परिषद चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़**

**कार्यवाही अन्तर्गत :- धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

| किस्म मुकदमा अपील (सूचना का अधिकार) | नं0 **097** | सन् **2025** |
|---|---|---|

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 30.10.2025 | सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत द्वितीय अपील प्राप्त हुई जो पेश हुई। अपीलार्थी महेन्द्र सिंह पिता गोवर्धनसिंह चूण्डावत जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी मकान नंबर 08 द्वारिका नगर, पुलिस लाईन के पास चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (मोबाईल 9887151460) ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(03) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत **लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़** को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 03.07.2025 के संबंध में प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपने द्वितीय अपील आवेदन में अवगत कराया गया है कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील **लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, प्रशासक नगर परिषद् चित्तौड़गढ़** को प्रेषित की गई जो जिसकी विहित समयावधि व्यतीत किसी भी प्रकार से कोई विनिश्चय नहीं हुआ है।<br>इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा विहित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन-पत्र के संबंध में अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अधिनियम 2005 की धारा 19(3) के तहत हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।<br>यहॉ उल्लेखनीय है कि यह प्राधिकारण लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही प्रथम अपील ग्रहण करता है।<br>अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) के तहत प्रस्तुत द्वितीय अपील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः हस्तगत द्वितीय अपील क्षेत्राधिकारिता को बिन्दु पर इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होना पाया जाता है। अतः अपीलार्थी को संबंधित द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के यहां नियमानुसार मय वांछित दस्तावेजात के अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।<br>उपर्युक्त विश्लेषण के साथ के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत द्वितीय अपील क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से एडमिशन स्तर पर ही निस्तारित की जाती है, अपीलार्थी को सक्षम द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती अहकाम की प्रतिलिपि अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें।<br>-S/D-<br>(आलोक रंजन)<br>लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी<br>जिला कलक्टर,<br>चित्तौड़गढ़<br>30.10.2025<br>सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official | |